यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षक उप कारागार रुड़की, जनपद हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षक उप कारागार रुड़की जनपद हरिद्वार के माह 06/2018 से 10/2020 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.11.2020 से 16.11.2020 तक श्री पी० के० गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खजान सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनाँक 04.06.2018 से 08.06.2018 तक श्री प्रेम चन्द्र वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी जिसमे 07/2014 से 05/2018 तक के लेखाओं की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2018 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः रुड़की

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत	आधि.	बचत
2017-18	-	-	204.70	191.98	109.82	106.40	-	12.72	-	3.42
2018-19	-	-	191.00	174.80	129.11	121.28	-	16.20	-	7.83
2019-20	-	-	160.16	160.16	117.93	113.95	-	-	-	3.98

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: लागू नहीं

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: शून्य

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

अधीक्षक
कारापाल
उपकारापाल
सहायक चिकित्सा अधिकारी
फार्मसिस्ट
सहायक लेखाकार
कनिष्ठ सहायक

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में अधीक्षक उप कारागार रुड़की जनपद हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षक उप कारागार रुड़की जनपद हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। नवंबर 2018, एवं जुलाई 2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

<u>शून्य</u>

भाग दो ब

प्रस्तर 01:- अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत SGHS अशंदान की कटौती वेतन से न किया जाना।

आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के शासनादेश संख्या-688/XXVIII-4-2018-04/2008 टी.सी. दिनांकः 14 सितम्बर 2018 तथा संशोधित शासनादेश सख्या-(1)XXXVVIII-3-2020 दिनांकः 04 मई 2020 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कर्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनायें हेतु निम्न दरों पर नियमानुसार प्रतिमाह वेतन से अंशदान लिया जायेगा।

1- वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू 250/-प्रतिमाह तथा 4 मई 2020 से पूर्व ₹ 100 प्रतिमाह।

2- वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू 450/-प्रतिमाह तथा पूर्व में ₹ 200 प्रतिमाह।

3- वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू 650/-प्रतिमाह तथा 4 मई 2020 से पूर्व ₹ 300 प्रतिमाह।

4- वेतन लेवल 12 एवं उत्चतर राजकीय कार्मिकों से 1000/-प्रतिमाह तथा 4 मई 2020 से पूर्व ₹ 400 प्रतिमाह।

शासनादेश के अनुसार विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण-वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के खातें में e-transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जाये।

कार्यालय अधीक्षक उप-कारागार, रूड़की के अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन से SGHS अशंदान की कटौती नही की गई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया कि आदेश प्राप्त होते ही शीध्र ही कटौती की कार्यवाही की जाऐगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योंकि शासनादेश के जारी होने के बाद कार्मिकों के वेतन से SGHS अशदानं की कटौती सुनिश्चित की जानी चाहिऐ थी। जिसका अनुपालन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा तक सुनिश्चित नही किया गया।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अन्र्तगत SGHS अशंदान की कटौती वेतन से न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:- आबंटित आवासों मे विद्युत कनैक्शन न लगाये जाने एवं उसके स्थान पर निर्धारित धनराशि की वसूली कार्मिको से कर कारागार के लेखा शीर्ष मे जमा करने का प्रकरण।

वेतन बिलों एवं अन्य अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि 21 अधिकारियों/ कर्मचारियों को कारागार आवासीय परिसर मे आवास आबंटित हुये है परंतु उनके आवासों मे विद्युत कनैक्शन नहीं लगा है। उन अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन बिलों से क्रमश: टाईप 3 हेतु रु० 455 एवं टाईप 2 हेतु रु० 312 एवं रु० 156 कीप्रति माह कटौती की जा रही है। आगे अभिलेखों के अवलोकन मे पाया गया कि जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों के आवासों मे विद्युत कनैकशन नहीं लगा है उनके द्वारा मार्च 2020 से नकद धनराशि कार्यालय मे जमा की जा रही है तथा कार्यालय द्वारा उस धनराशि को कारागार के लेखा शीर्ष 0056 मे जमा किया जा रहा है परिणामस्वरूप विद्युत विभाग के खाते मे कोई धनराशि जमा नहीं हो रही है। जो नियमों के विरुद्ध है। मार्च 2020 से पहले ट्रेजरी के द्वारा उनके वेतन बिलों से कटौती की जाती थी तथा ट्रेजरी के द्वारा कटौती की धनराशि का विद्युत विभाग मे जमा का कोई प्रमाण इकाई मे उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त के सम्बंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार कटौती की जा रही थी। वर्तमान मे विद्युत कनैकशन हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा विद्युत विभाग मे आवेदन किया गया है तथा जल्दी ही आवासों मे विद्युत कनैकशन लगाये जाने की कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न्यूनतम धनराशि वसूलने एवं वसूली गयी धनराशि विद्युत विभाग के खाते मे जमा न करके कारागार के लेखा शीर्ष मे जमा करने का प्रकरण सज्ञांन में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो"अ"प्रस्तर संख्या	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या
39/2015-16	शून्य	प्रस्तर-1 रु० 12695/-के ड्राफ्टों का कैश चेस्ट मे 22 वर्षों तक निष्क्रिय पड़े रहना।	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित की जायेगी।
		प्रस्तर-2 रु० 2.32 लाख के दायित्वों का सृजन किया जाना।	
08/ 2018-19	शून्य	प्रस्तर- रू० 142.00 लाख की धनराशि का भोजन सामग्री का अनियमित क्रय किया जाना।	

भाग-IV

(शून्य)

<u>भाग - V</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य

सतत् अनियमितताएनमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	श्रीमती नीतिका खंडेलवाल	अधीक्षक	18.04.2018 से 25.11.2019
2	श्रीमती नवामी बंसल	अधीक्षक	26.11.2019 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखा परीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति उप कारागार रुडकी, जनपद- हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/ए०एम०जी०-III, कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III